

तारीख
को भर

11.11.21

पञ्जावली आज प्रशासन गांव के संग अभियान
 2021 ग्राम पंचायत विपरपुर मे पेश हुई।
 न्याय वारी एवं उसके अभिभावक उपस्थित आये।
 वारी ने प्रॉफ 023 RLCPL पेश किया जो
 शामिल पञ्जावली किया गया। वकील वारी ने
 बुधन किया कि वारी अपना दावा नहीं चलावा
 चाहता है और दावा इसी तरह पर खारिज
 किया जाये।

प्रशासनिक
 इतिफ
 वाम
 विजयसिंह

पञ्जावली का अवलोकन किया, सिविल
 प्रक्रिया संस्था की धारा आदेश 23 नियम 108C
 के अन्तर्गत वारी अपना दावा किसी भी तरह पर
 वापिस ले सकता है। अतः वारी को दावा
 विहीन की अनुमति प्रदान की जाती है।
 दावा वारी विहीन के आधार पर खारिज
 किया जाये। पञ्जावली फैसल सुनकर दोनों
 वाद तकमिल दाखिल दफ्तर है।

कैम्प प्रभारी (उपखण्ड अधिकारी)
 प्रशासन गांव के संग अभि0-2021
 कैम्प ग्राम पं० विपरपुर.....
 पंचायत समिति व जिला धौलपुर